मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--***--

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2009/नियम/चार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2010 से मूल वेतन + ग्रेड पे का 22% की दर से महँगाई भत्ता देय है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को देय महँगाई भत्ता, मूल वेतन एवं ग्रेड पे पर निम्नानुसार दर से स्वीकृत किया जाए :-

अवधि जब से देय है	महँगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-4-2010 (माह अप्रैल, 2010 का वेतन जो मई, 2010 में देय होगा)	मूल वेतन + ग्रेड पे का 25%
दिनांक 1-7-2010 (माह जुलाई, 2010 का वेतन जो अगस्त, 2010 में देय होगा)	मूल वेतन + ग्रेड पे का 27%

3/ महँगाई भत्ते के नियमन हेतु अन्य प्रावधान वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम/चार दिनांक 16 सितम्बर 2009 के अनुसार लागू होगें ।

4/ इन आदेशों के तहत देय महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को नगद किया जाएगा ।

5/ यह आदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगें । यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई., वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को भी उक्त मंहगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम /चार,दिनांक 16 सितम्बर 2009 के अनुसार देय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Rule/sunita/1/3/9/2010-/DA 5%

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 4-1/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Rule/sunita/2/3/9/2010-/DA 5%